



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 फाल्गुन, 1946 (श०)

संख्या - 109 राँची, गुरुवार, 27 फ़रवरी, 2025 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

तार्किक आदेश

21 फ़रवरी, 2025

संख्या-07/ हो०गा०(न्याय०)-71/2024-1153--W.P.(S)No:-4641/2023, राजमुनी कुमारी एवं अन्य बनाम-झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक 12.08.2024 का कार्यकारी अंश निम्नवत है :-

"5. Having regard to the limited submission of the learned counsel for the parties and after going through the prayer made in the instant writ application, the same is hereby disposed of by directing the petitioners to approach the respondent no.2 and file joint representation before him along with all necessary document, if any, within a period of 4 weeks. If any such representation(s) is filed before the respondent no.2, the same shall be looked into and a reasoned order shall be passed with respect to the prayer made in the instant writ application within a period of 16 weeks from the date of receipt of such representation(s)."

2. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक-12.08.2024 के अनुपालन में वादी जयन्ती लकड़ा, अनिता कुमारी एवं राजमुनी कुमारी द्वारा अपना Representation विभाग को समर्पित किया गया है। वादी के द्वारा समर्पित पक्ष के आलोक में पुलिस-उप-महानिरीक्षक, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएँ, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2611/विधि, दिनांक-17.12.2024 द्वारा उपायुक्त, लोहरदगा के कार्यालय पत्रांक-787, दिनांक-12.12.2024 के माध्यम से प्राप्त तथ्य विवरणी अग्रतर कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराया गया है। विभागीय पत्रांक-2611, दिनांक-17.12.2024 तथा पत्रांक-491, दिनांक-27.01.2025 के द्वारा महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा, झारखण्ड, राँची से विषयांकित मामले में मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-174, दिनांक-27.01.2025 के द्वारा उपायुक्त, लोहरदगा के कार्यालय पत्रांक- 787, दिनांक-12.12.2024 से प्राप्त पत्र पर अपनी सहमति व्यक्त किया गया है। प्राप्त तथ्य विवरणी में उल्लेखित है :-

i. यह कि झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी लोहरदगा द्वारा लोहरदगा जिला में गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए विज्ञापन संख्या 01/2018 प्रकाशित किया गया। गृह रक्षकों के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के प्रखण्डवार पुरुष एवं महिला के पदों पर रिक्तियों के अनुरूप उक्त विज्ञापन का प्रकाशन किया गया ।

ii. यह कि विज्ञापन में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि गृह रक्षक कोई वैतनिक सरकारी नौकरी या आजीविका का माध्यम नहीं है। गृह रक्षा वाहिनी एक स्वयंसेवी संगठन है तथा गृह रक्षक उसके स्वयंसेवी सदस्य होते हैं। उन्हीं उम्मीदवारों से आवेदन की अपेक्षा की जाती है, जो राष्ट्र की सेवा निःस्वार्थ करने के लिए तत्पर हों। चयनित सदस्यों को आवश्यकतानुसार कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त किया जाता है एवं उतने कार्य दिवस के लिए सरकार द्वारा निर्धारित भत्ता का भुगतान देय होता है ।

iii. यह कि आवेदन के उपरांत विज्ञापन के अनुरूप वांछित योग्यता पूर्ण करने वाले आवेदकों का चयन गृह विभाग झारखण्ड सरकार राँची की अधिसूचना संख्या-5442 दिनांक-20.10.2014 के आलोक में चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत जांच परीक्षा ली गयी ।

iv. यह कि चयन परीक्षा में निम्नलिखित परीक्षा ली गयी जिसका पूर्ण विवरण विज्ञापन में अंकित है:-

क. शारीरिक जांच परीक्षा, जिसके अन्तर्गत 1 मील की दौड़, उँची कूद, लम्बी कूद एवं शाट पूट सम्मिलित है ।

ख. हिन्दी लेखन क्षमता परीक्षा

ग. तकनीकी दक्षता परीक्षा सिर्फ तकनीकी दक्ष अभ्यर्थियों के लिए

घ. चिकित्सीय जांच तथा चरित्र सत्यापन

v. यह कि उक्त विज्ञापन के अनुसार कुल 471 रिक्तियों (पुरुष 236 एवं महिला 235) के विरुद्ध कुल 8599 अभ्यर्थियों को आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें पुरुष अभ्यर्थियों का 5831 एवं महिला अभ्यर्थियों का 2768 आवेदन शामिल है।

vi. यह कि इसके उपरांत उपायुक्त लोहरदगा एवं पुलिस अधीक्षक लोहरदगा के संयुक्त आदेश ज्ञापांक सं०-763/गो० दिनांक-11.07.2022 के माध्यम से दिनांक 12.07.2022 से 21.07.2022 तक जांच परीक्षा का कार्यक्रम प्रकाशित किया गया। परीक्षा का कार्यक्रम कार्यालय के सूचना पट. समाचार पत्र एवं वेबसाइट **lohardaga.nic.in** में प्रकाशित किया गया था। उक्त आदेश के माध्यम से ही विभिन्न तिथियों के परीक्षा के निष्पक्ष एवं पारदर्शी संचालन के लिए दण्डाधिकारी एवं अन्य अधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए जिनके निरीक्षण एवं देखरेख में परीक्षा संचालित की गयी।

vii. यह कि हिन्दी लेखन परीक्षा हेतु जिला शिक्षा अधीक्षक लोहरदगा के कार्यालय ज्ञापांक-581 दिनांक-08.07.2022 द्वारा निर्धारित तिथियों में परीक्षा लेने हेतु शिक्षक प्रतिनियुक्त किए गए थे।

viii. यह कि प्रत्येक जांच परीक्षा पूरी निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक रूप से ललित नारायण स्टेडियम लोहरदगा में संचालित की गयी एवं अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न जांच परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों का टेबुलेशन चार्ट तैयार कर रिक्तियों के अनुरूप मेधा सूची तैयार की गयी।

ix. यह कि जिला समादेष्टा झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी लोहरदगा के अनुरोध पर अनुमंडल पदाधिकारी लोहरदगा में आदेश ज्ञापांक-1199/गो० दिनांक-29.11.2022 के द्वारा जिला नियोजन पदाधिकारी, लोहरदगा एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी, लोहरदगा को दण्डाधिकारी टेबुलेशन चार्ट की सत्यता एवं मेधा सूची के सत्यापन हेतु प्रतिनियुक्त किया गया, तत्पश्चात प्रखण्डवार कट ऑफ मार्कट्स के साथ अंतिम परीक्षाफल प्रकाशित किया गया।

X. यह कि प्रखण्डवार रिक्तियों के विरुद्ध अंतिम रूप से सफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले आवेदकों को रिक्तियों के अनुरूप सफल घोषित किया गया। प्रत्येक प्रखण्ड क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्र के सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी जिला नियोजन पदाधिकारी, लोहरदगा एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी, लोहरदगा के निरीक्षण एवं सत्यापन के उपरान्त उनके संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा प्रकाशित किया गया।

xi. यह कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी थी एवं सम्यक सत्यापन के उपरांत आवेदकों को मेधा सूची के अनुरूप सफल घोषित किया गया है।

xii. यह कि भण्डरा प्रखण्ड (ग्रामीण) महिला की अभ्यर्थी याचिकाकर्ता राजमुनी कुमारी, रौल नं० 12 दौड़ में सफल होने पर 10 अंक प्राप्त किए परन्तु ऊँची कूद में असफल रही जिसके उपरांत उन्हें असफल घोषित किया गया है।

xiii. यह कि भण्डरा प्रखण्ड (ग्रामीण) महिला की अभ्यर्थी दूसरी याचिकाकर्ता जयन्ती लकड़ा, रौल नं० 152 को परीक्षोपरान्त कुल 20 अंक प्राप्त हुए। भण्डरा प्रखण्ड (ग्रामीण) के कुल 23

रिक्तियों के लिए मेधा सूची प्रकाशित की गयी जिसमें अधिकतम कट ऑफ अंक 35 एवं न्यूनतम कट ऑफ अंक 30 प्राप्त करने वाले 23 महिला अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। याचिकाकर्ता जयन्ती लकड़ा ने कुल 20 अंक प्राप्त किए जो न्यूनतम कट ऑफ अंक 30 से 10 कम हैं।

xiv. यह कि सेन्हा प्रखण्ड (ग्रामीण) महिला की अभ्यर्थी तीसरी याचिकाकर्ता अनिता कुमारी, रोल नं० 138 को परीक्षोपरान्त कुल 20 अंक प्राप्त हुए। सेन्हा प्रखण्ड (ग्रामीण) के कुल 22 रिक्तियों के लिए मेधा सूची प्रकाशित की गयी जिसमें अधिकतम कट ऑफ अंक 34 एवं न्यूनतम कट ऑफ अंक 31 प्राप्त करने वाले 22 महिला अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। याचिकाकर्ता अनिता कुमारी ने कुल 20 अंक प्राप्त किए जो न्यूनतम कट ऑफ अंक 31 से 11 कम हैं।

xv. यह कि राजमुनी कुमारी ऊँची कूद में असफल रही जबकि जयन्ती लकड़ा ने न्यूनतम कट ऑफ अंक से 10 अंक कम एवं अनिता कुमारी ने न्यूनतम कट ऑफ अंक से 11 अंक कम अंक प्राप्त किए हैं जिसके कारण सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची में उनका नाम सम्मिलित नहीं है।

3. अतः वर्णित उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी लोहरदगा द्वारा लोहरदगा जिला में गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए नियमसंगत पारदर्शी रूप से चयन प्रक्रिया की कार्रवाई करते हुए झारखण्ड गृह रक्षक (स्वयंसेवक) नियमावली 2014 में निहित प्रावधानों का अक्षरशः पालन किया गया है।

तदनुसार याचिकाकर्ता राजमुनी कुमारी, जयन्ती लकड़ा एवं अनिता कुमारी का उपरोक्त बहाली प्रक्रिया में असफल रहने के कारण अभ्यर्थियों का नामांकन किया जाना नियमसंगत प्रतीत नहीं होता है।

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव।
